परिशिष्ट - 1

[25/7/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 387]

Gmail

Office of MD Samb <mdmandiboard@gmail.co

कुरावर मंडी में चल रहे अवैध व्यापार के बारे में।

1 message

yellow pencil <canrooz@gmail.com>
To: "mdmandiboard@gmail.com" <mdmandiboard@gmail.com>

Sun, Mar 13, 2022 at 10:27

माननीय प्रबंध निदेशक महोदय, आपके द्वारा मंडी की कार्य प्रणाली में कसावट लाने के लिए राज्य स्तर से लेकर मंडी के अंतिम स्तर तक किए जा रहे हैं। इन कार्यों की चर्चा लोक और प्रशासन के सभी वर्गों में हो रही है। परंतु मंडी में एक वर्ग ऐसा भी है जो आप ही की नाक के नीचे तन मन से आपके इन प्रयासों को पलीता लगाने में जुटा हुआ है। जहां प्रदेश के सबसे अंतिम छोर तक की मंडियां आपके द्वारा बताए गए उपायों से मंडी की आय बढ़ाने में जुटी हुई हैं, वहीं भोपाल से बिलकुल पास की ही राजगढ़ स्थित कुरावर मंडी में मंडीसचिव के निजी फायदों के लिए आपके आदेशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। सचिव के द्वारा किसानों के माल को व्यापारी के गोदामों पर तुलवाने के नाम पर मंडी गेट से बिना शुल्क वसूले छोड़ा जा रहा है। इस उपज पर मंडी शुल्क न लेने के एवज में पच्चीस रुपए प्रति बोरी की दर से सुविधा शुल्क वसूला जाता है जिसकी संपूर्ण आय सचिव की जेब में जाती है। इसी प्रकार से प्रतिदिन पांच सौ से दो हजार बोरी अनाज मंडी शुल्क वसूले बिना ही मंडी प्रांगण से छोड़ दिया जाता है। जिससे मंडी को प्रतिदिन पचास हजार से दो लाख रूपए प्रतिदिन की हानि हो रही है। इस प्रतिदिन की हानि को रोकने के लिए माननीय पूर्व प्रबंध संचालक महोदय द्वारा सभी मंडी गेटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए गए थे। आदेश की मजबूरी में मंडी गेटों पर कैमरे तो लगा दिए गए पर लगने के बाद से इन कैमरों को एक बार भी नहीं चलने दिया गया है। क्योंकि कैमरे चालू हो जाने पर इस अवैध गोरखधंधे को मन मारकर बंद करना पड़ेगा। कैमरों को बंद करके रखने की पुष्टि सीसीटीवी कैमरों की पहले की रिकॉर्डिंग देख कर की जा सकती है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है। कैमरे चालू रहने पर इस प्रकार की अवैध कालाबाजारी करते रहना संभव नहीं रह जाएगा।

वर्षों से चलते इस घोटाले की पुष्टि प्रवेश पर्ची, सौदा पर्ची और रोज बने हुए गेटपासों में लिखी अनाज की मात्रा का मिलान करके भी की जा सकती है। सौदे में लिखी अनुमानित मात्रा और काटे गए गेटपास की असली मात्रा में पांच दस प्रतिशत का अंतर तो सामान्य है, पर कुरावर मंडी में यही अंतर बढ़कर पच्चीस से तीस प्रतिशत तक हो गया है। ऐसी स्थिति मंडी गेट से भारी मात्रा में बिना शुल्क चुकाए कृषि उपज निकाले जाने की तरफ इशारा करती है।

व्यापारियों के द्वारा इस प्रकार गैरकानूनी तरीके से माल बाहर ले जाकर के मंडी के राजस्व को तो हानि पहुंचाई ही जाती है, साथ ही बाहर ले जाए गए माल की हेराफेरी वाले तौलकांटों से कम तौल करके किसानों को भी चूना लगाया जाता है। इसकी पुष्टि भी बाहर लगे तौलकांटों को पुनः चेक करके करवाई जा सकती है।

मंडी सचिव और व्यापारियों की इस मिलीभगत से मंडीबोर्ड और किसानों का दोतरफा नुकसान हो रहा है जो हर तरह से अस्वीकार्य है।

माननीय महोदय आपके कार्यालय से कुछ ही दूरी पर रोज हो रहा यह घोटाला श्रीमान के चमकते कार्यकाल पर दाग की तरह है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि:

1. मंडी गेट से इस तरह से हो रही अवैध निकासी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर जरूरी कार्यवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
2. पूर्व के आदेशानुसार मंडीगेट को चौबीसों घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रखना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। एवं
3. किसानों को उनकी उपज की सही तौल और त्वरित भुगतान मिले इसका प्रबंध करने का भी कष्ट करें।

कुरावर मंडी में इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति निर्मित होने से आस पास के किसानों में रोष का माहौल है जो कभी भी आंदोलन में तब्दील हो सकता है। किसान प्रतिनिधि होने के नाते प्रार्थी ने सभी किसानों को मंडी बोर्ड प्रशासन पर और विशेष रूप से श्रीमान आप पर भरोसा रखने का आश्वासन दिया है। पर मंडी प्रशासन के बाकी अधिकारियों के द्वारा की जा रही अनदेखी से यह भरोसा डगमगाता प्रतीत हो रहा है।

महोदय से इस घोर अनियमितता पर कार्यवाही की उम्मीद अत्यधिक आशावादिता लग सकती है पर श्रीमान के अभी तक के शानदार कार्यकाल को देखते हुए श्रीमान से ऐसी आशा स्वाभाविक ही है। अतः महोदय से पुनः निवेदन है कि कुरावर मंडी की इस घोर अनियमितता को समाप्त करके और जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करके सभी को अपनी उस धाकड़ कार्यशैली का परिचय दें जिसके लिए श्रीमान जाने जाते हैं।

धन्यवाद।

-आपका

अजय क.

JD (SD) 643
4/04/2022

A2

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
Mail/4192 दि. 14/03/2022
शाखा JD शिकायत

04/04/22

O (शिकायत)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

148
5.4.22

05/04/22

परिशिष्ट-1 पेज 1